अनुबंध –IV

(भारत के राजपत्र भाग-1, खंड 1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)
उद्योग भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना

सं. 11(1)/2004-आईपी एवं आईडी (आइपी एवं आईसी- IV) - भारत सरकार ने 11वी पंचवर्षीय योजनावधि में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु 74.5 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को अनुमोदित किया है, जिसका नाम "निवेश संवर्धन योजना" है। इस योजना का लक्ष्य देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है।

2. इस योजना में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही दो योजनागत योजनाओं को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना में मिलाया गया है, जिसका नाम 'निवेश संवर्धन योजना' है और जिसे 11वीं योजनावधि में कार्यान्वित किया जाएगा। ये योजनाएं हैं 1997-98 से कार्यान्वित की जा रही "निवेश संवर्धन कार्याकलापों को आरंभ करना" तथा 2001-02 के कार्यान्वित की जारी "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त उद्यम - भारत में एशिया उपक्रम" पहले की दोनों योजनाओं में ऐसे उद्देश्य थे जो एक दूसरे के क्षेत्र में आते थे अतः योजना आयोग के अनुमोदन से इन योजनाओं को मिला देने का निर्णय लिया गया। जो विलियत योजना, वित्तीय वर्ष 2007-08 में अस्तित्व में आयी उसका नाम "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त उद्यम - एशिया उपक्रम और निवेश संवर्धन कार्यकलाप" था।

3. 3 सितंबर, 2008 को सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अध्यक्षता में हुई विभागीय व्यय वित्त समिति के अनुमोदन से, विलयित योजना के घटकों को परिष्कृत कर उनके दायरे में विस्तार किया गया है, और योजना का नाम बदलकर "निवेश संवर्धन योजना" कर दिया गया है। वर्तमान दिशा-निदेशों के अनुसार, योजना को वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. दिनांक 11.11.2008 के समसंख्यक ओ एम के तहत जारी योजना के घटकों का ब्यौरा अधिसूचना के अनुबंध के रूप में संलग्न है।

5. इसे एकीकृत वित्त स्कंध की सहमति से उनकी दिनांक 5.11.2008 की डायरी सं. 1722 वित्त-II के द्वारा जारी किया जाता है।

(चांदनी रैना)
संयुक्त निदेशक

सेवा में,
भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद।

सं. 11(1)/2004-आईपी एवं आईसी- IV
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

उद्योग भवन,नई दिल्ली
दिनांक 11 नवम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय क्षेत्र की "निवेश संवर्धन योजना" – 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन।

पिछले वर्षों के दौरान, विदेशी निवेशकों के लिए एक निवेश विकल्प के तौर पर भारत के आकर्षण में वृद्धि हुई है। पिछले चंद वर्षों में विदेशी निवेश में तीव्र वृद्धि हुई है। 2006-07 में, उससे पिछले वर्ष की तुलना में, इसमें 180% की वृद्धि हुई। 2007-08 में विदेशी इक्विटी का अंतर्वाह लगभग 24 बिलियन डारल था, जिसने उससे पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 56% की वृद्धि दिखाई। तथापि, एफडीआई को आकर्षित करने की भारत की क्षमता तथा वास्तविक एफडीआई अंतर्वाहों में भारी अंतर बना हुआ है। इसके अलावा, वैश्वीकृत बाजार के इस युग में निवेश हेतु विकसित देशों से भी काफी प्रतिस्पर्धा है और निवेश संवर्धन कार्यों को व्यापक तौर पर एवं ध्यान केंद्रित करते हुए हाथ में लिए जाने की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत, भारत सरकार ने कुल 74.5 करोड़ रुपये के परिव्यय से 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक केंद्रीय क्षेत्र की "निवेश संवर्धन योजना" के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान किया है। इस योजना को निम्नलिखित घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाएगा :

i) संयुक्त आयोग बैठकों का आयोजन
(परिव्यय : 5 करोड़ रुपये)

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग बेलरूस, लीबिया, हंगरी, स्वीडन और पोलैंड के साथ आर्थिक, प्रौद्योगिकीय, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त आयोग बैठकों के आयोजन के लिए नोडल विभाग है। इस योजना से इन द्विपक्षीय योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, यह विभाग भारत रूस व्यापार और निवेश फोरम, भारत जीसीसी औद्योगिक फोरम, कोरिया के साथ संयुक्त निवेश संवर्धन समिति के आयोजन हेतु भी जिम्मेदार है। इनके लिए धन की व्यवस्था ऊपर उल्लिखित योजना से की जाएगी।

इसके अलावा, इस योजना से ताइवान के साथ होने वाले वार्षिक परामर्श, द्विपक्षीय स्तर की निवेश परिषद/अंतः सरकारी निवेश संवर्धन समितियों की बैठकों तथा अन्य सभी अंतः सरकारी निकाय/फोरम की बैठकों पर आने वाले खर्च के लिए भी व्यवस्था की जाएगी जो अस्तित्व में हैं तथा उनके लिए भी जिनका गठन 11वीं योजनावधि के दौरान द्विपक्षीय निवेश संवर्धन के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय/दूतावास के परामर्श से किया जाएगा।

ii) बिजनेस तथा निवेश संवर्धन कार्यकलापों का आयोजन (परिव्यय: 26 करोड़ रुपये)

यह विभाग विदेशों भारतीय मिशनों/शीर्ष औद्योगिक चैम्बर्स के सहयोग से विभिन्न देशों में बिजनेस तथा निवेश संवर्धन कार्यकलापों (नेटवर्किंग सेसन, रोड शो, प्रदर्शनी सहित) का आयोजन करेगा। भारत में निवेश संवर्धन कार्यकलापों/क्षेत्र विशिष्ट बिजनेस/उद्योग चैम्बरों द्वारा आयोजित निवेश बैठकों के लिए भी सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत निवेश संवर्धन के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रतिनिधि मंडलों को भी विदेश भेजा जाएगा।

सरकार ने बिजनेस लीडर्स मंच अथवा सीईओएस परिषद/मंचों के सृजन द्वारा अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक पहल की है। परिषद/मंच के पास बिजनेस स्तर पर अन्य देशों के साथ बढ़ती भागीदारी तथा सहयोग के लिए एक रोड मैप विकसित करने का आदेश है। इस प्रयास में जापान, यूएसए, रूस तथा यूरोपियन यूनियन के साथ मंच/परिषद पहले ही अस्तित्व में है। अन्य देशों के साथ सीईओ परिषद/मंच स्थापित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। बैठकों के आयोजन, अनुवर्ती कार्रवाई/समीक्षा बैठकों, अवधारणा दस्तावेजों तथा मंच/परिषद से उभरने वाले अन्य मामलों सहित सीईओएस परिषदों/मंचों की स्थापना करने की वित्तीय अड़चने निवेश संवर्धन हेतु योजना के आवंटन से पूरी की जायेंगी।

iii) परियोजना प्रबंधन, क्षमता निर्माण, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन (परिव्यय: 5 करोड़ रुपये)

योजना के प्रभावी प्रबंधन में सक्षम होने के लिए समवर्ती मूल्यांकन सहित परियोजना प्रबंधन सहायता हेतु प्रावधान कर लिया गया है। देश केन्द्रित अध्ययन उद्योग/क्षेत्र संबंधी रिपोर्टें, निवेशों को आकृष्ट करने के लिए नवीकरण परियोजनाओं हेतु अवधारण दस्तावेज की तैयारी शुरू करके क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया जायेगा।

इस योजना में विदेशी निवेश आकृट करने, निवेश और औद्योगिक उत्पादन पर डाटाबेस विकसित करने के लिए आंकड़ों का सर्वेक्षण व संग्रहण शुरू करने तथा सहायता निवेश निर्णय के उद्देश्य से इलैक्ट्रानिक उत्पादों/ वेबसाइटों की तैयार करने के लिए संवर्धनात्मक साहित्य/ब्रोचर तैयार करने हेतु व्यवस्था होगी।

iv) जी2बी पोर्टल की स्थापना
(परिव्ययः 20 करोड़ रुपये)

यह योजना ई-बिज परियोजना क्रियान्वित करेगी जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी) के अन्तर्गत सरकार मिशन मोड़ परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना में जी2बी पोर्टल की स्थापना सम्मिलित होती है जो बिजनेस तथा उद्योग की जरूरतों का पता लगाती है और विदेशी तथा घरेलू निवेशकों को सुविधाजनक तथा दक्ष सेवाओं हेतु वन स्टॉप शॉप सृजित करेगी।

v) विदेश यात्रा
(परिव्ययः 8 करोड़ रुपये)

विदेशी यात्रा के संघटक में विभिन्न निवेश संवर्धन कार्यकलापों को शुरू करने के संबंध में विदेश सरकार प्रतिनिधियों की प्रतिनियुक्ति तथा संयुक्त आयोग की बैठकें सम्मिलित होंगी।

vi) निवेश संवर्धन हेतु देश फोकस डेस्कों की स्थापना
(परिव्ययः 4 करोड़ रुपये)

देश फोकस डेस्क का उद्देश्य वैयक्तिक निवेशक से निवेश करना, एस्कोर्ट सेवा प्रदान करना संयुक्त उद्यम संबंधों तथा बिजनेस सहयोगों और बिजनेस संबंधों को बढ़ावा देना है। प्रारंभ में 10 देश फोकस डेस्क स्थापित किये जायेंगे। देशों का चयन उनके उत्कर्ष तथा विश्व भर में तथा भारत में भी उनके एफडीआईएस के स्रोत के अनुसार किया जायेगा। इन डेस्कों को बिजनेस संगठनों के साथ नेटवर्क तक उनकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए शीर्ष उद्योग चैम्बर के साथ सहयोग में बनाया जायेगा।

देश फोकस डेस्कों का उद्देश्य निम्नानुसार होगाः-

i) वैयक्तिक निवेशकों से निवेश संबंधी पूछताछ पर ध्यान देना
ii) वैयक्तिक निवेशकों को एस्कोर्ट सेवाएं प्रदान करना
iii) संयुक्त उद्यम, संबंधों, बिजनेस सहयोगों को बढ़ावा देना
iv) यहां वहां प्रतिनिधि मंडल के दौरों को बढ़ावा देना
v) भ्रमणकारी शिष्टमंडलों पर ध्यान देना
vi) रोड शो, कार्यशालाएं प्रदर्शनी तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना
vii) भारत तथा लक्षित देशों में संगठनों के साथ नेटवर्किंग

viii) भारत तथा विदेश में औद्योगिक संघों के साथ-साथ केन्द्र/राज्य सरकारों में विपक्षी एजेन्सियों द्वारा शुरू किये गये निवेश संवर्धन कार्यकलापों की सहायता करना

ix) निवेश संवर्धन के समग्र उद्देश्य के भीतर किसी अन्य कायकलाप को शुरू करना जिनको ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

देश फोकस डेस्कों की स्थापना करने के लिए आईसीटी सुविधाओं, कार्यालय उपकरणों, सम्मेलन तथा संप्रेक्षण सुविधाओं के लिए एक मुस्त वित्तीय सहायता तथा एक लघु पुस्तकालय संसाधन की व्यवस्था की जायेगी।

vii) मल्टी मीडिया दृष्य श्रव्य अभियान
(परिव्ययः 4.5 करोड़ रुपये)

निवेश संवर्धन के लिए प्रिंट तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के जरिये सूचना के प्रसार के मौजूदा प्रयासों को पूरा करना इसका उद्देश्य होगा। इसके तहत भारत में निवेश माहोल, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर तथा एक प्रणालीबद्ध मल्टीमीडिया अभिमान द्वारा प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भारत के तुलनात्मक लाभ पर सूचना प्रसारित की जायेगी। यह विभाग विदेशी मीडिया में ऐसे अभियानों के शुरू करने तथा प्रबंधन करने के लिए सिद्ध रिकार्ड के साथ एक एजेंसी को शामिल करेगा। इस योजना में निवेश संवर्धन कार्यकलापों की कवरिंग के लिए संविदाकारी शर्तों पर विदेशी मीडिया व्यक्तियों को किराये पर लेना भी सम्मिलित होगा।

viii) समर्पित निवेश संवर्धन अभिकरण का सृजन (परिव्यय : 2 करोड़ रुपये)

ज्यादा संगठित, केन्द्रित एवं व्यापक तरीके से निवेश आकर्षित करने के संपूर्ण मसले के निदान के लिए एक समर्पित अभिकरण की आवश्यकता है। ऐसी कंपनी :

(i) भारत में रूचि रखने वाले किसी भी निवेशक के लिए प्रथम संदर्भ बिन्दु का कार्य करेगी

- यह एक ही जगह पर सभी राज्यों के बारे में, राज्यों द्वारा प्रस्तावित कर दरों, कौशल उपलब्धता एवं लाभ जैसे मुद्दों पर सूचना उपलब्ध कराएगा।,

(ii) देश के भीतर व्यवसाय स्थापित करने को सुलभ बनाएगी

- प्रत्येक क्षेत्र एवं कॉरपोरेट सेवाओं के लिए परामर्शकों का पैनल उपलब्ध कराएगी जो शुल्कों के भुगतान के संबंध में नए कंपनियों के लिए आवश्यक हो सकता है।
- राज्य सरकारों से, उनके **निवेश क्षेत्रों**, औद्योगिक पार्कों एवं अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक इस्तेमाल हेतु **उपलब्ध** भूमि की सूची उपलब्ध कराने के लिए समन्वय करना।
- निवेशक अनुकूल माहौल तैयार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के स्तर पर क्षमता निर्माण कार्य करना।

(iii) संवर्धनात्मक कार्य हाथ में लेना

- यह अभिकरण संवर्धनात्मक कार्य हाथ में लेगी एवं विशेषकर मेट्रो के अलावा अन्य शहरों में वैश्विक निवेश जागरूकता के विस्तार के द्वारा निवेश आकर्षित करेगी।

यह कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत, सृजित होगी एवं यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में होगी। इस संयुक्त उद्यम के लिए देश का एक अग्रणी शीर्ष व्यापार एवं उद्योग संघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का निजी क्षेत्र का भागीदार होगा। राज्य सरकारों/राज्य निवेश संवर्धन अभिकरणों को इक्विटी में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

कंपनी के पास 10 करोड़ रुपये की प्राधिकृत राशि एवं 1 करोड़ रूपये की प्रदत्त राशि होगी। इसका अंशदान निम्नप्रकार किया जाएगा :-

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	-	35%
फिक्की एवं इससे संबद्ध	-	51%
राज्य सरकार/राज्य निवेश संवर्धन अभिकरण (संख्या में 28)	-	0.5% प्रत्येक
कुल	-	**100%**

शुरूआत में, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के पास 49% इक्विटी होगी। जैसे-जैसे राज्य सरकारें अपनी भागीदारी के बारे में बताएगी, वैसे ही इक्विटी में भारत सरकार का हिस्सा घटकर समय के साथ प्रदत्त पूंजी का 35% हो जाएगा

सरकार के प्रस्ताव से होने वाले वित्तीय खर्चे की पूर्ति निवेश संवर्धन हेतु स्कीम से की जाएगी। तथापि, आवश्यक अनुमोदनों के मिलने पर ही स्कीम को चालू किया जाएगा।

इस योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश बाद में जारी किया जाएगा।

चांदनी रैना

(चांदनी रैना)
संयुक्त निदेशक

सेवा में,

1. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
3. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, राज्य सरकार/ संघ शासित क्षेत्र
4. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के उद्योग आयुक्त/निदेशक
5. सभी उद्योग संघ नामतः सीआईआई, फिक्की, एसोचेम